संचालक मंडल

महेन्द्र कुमार सिन्हा, भुपेन्द्र सिंह बेलचंदन, नेतराम देशमुख, सुषमा साहू, तुलसी राम देशमुख, रविन्द्र वर्मा, दीपीका चंद्रवंशी, धनेन्द्र कुमार सिन्हा, लता सोनवानी, प्रदीप कुमार

सहयोगी मित्र आत्मा समूह (F.I.G.)

पात्रता : कृषि या कृषितर गतिविधियों से जुड़े हुए किसान/शेयरधारक/समुह के सदस्य

सदस्यता हेतु आवश्यक :

- सदस्य संबंधित ग्राम / नगर का निवासी हो।
- प्रत्येक किसान रूचि समूह (एफ.आई.जी.) में कुल 20 सदस्य होंगे।
- प्रत्येक किसान रूचि समूह (एफ.आई.जी.) का अपना कमोडिटी क्लस्टर होगा।
- प्रत्येक किसान रूचि समूह बचत एवं आपसी लेनदेन पद्वति पर कार्य करेंगे। इस हेतु प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह 100 रू. बचत जमा करेंगे तथा समूह में आपसी लेन देन करना आवश्यक है।
- प्रत्येक समूह का स्थानीय बैंक में संयुक्त बैंक खाता प्रारंभ किया जायेगा, जिसका संचालन समूह के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- समुह का प्रत्येक माह में बैठक आवश्यक होगा। बैठक की कार्यवाही पंजी में दर्ज किया जायेगा तथा समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित किया जायेगा।
- सदस्यों को SMFPC कंपनी/विभाग द्वारा आयोजित सभी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों में सहभागिता आवश्यक होगी।
- सदस्यों/शेयर धाराकों को कंपनी/विभाग के नियम व शर्ते मान्य होगी।

कंपनी के सहयोगी

- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जिला दुर्ग (छ.ग.)
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी)

रिसोर्स संस्था सहयोगी मित्र मंडल, दुर्ग (छ.ग.)

दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है
जरिया बनकर किसी को उपर उठाना और बात है.........

शेयर धारक एवं सदस्य बनिए

सहयोगी मित्र फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड (किसान उत्पादक कंपनी)

कंपनी अधिनियम 2013 (सेक्शन 8) के तहत पंजीकृत

मार्गदर्शिका

<u>हमारा पता</u>

सहयोगी मित्र मंडल
मकान नं. 267, वार्ड नं. 37, आजाद वार्ड
गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) 491001
मोबा./वाट्सऐप : 9981022345
ईमेलः **sahyogicg1972@gmail.com**
वेबसाईटः **www.sahyogicg.org**

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

किसान या किसान समूह द्वारा गठित उत्पादक संगठन जिसका प्रमुख कार्य (कमोडिटी) कृषि एवं कृषितर कार्य, फल एवं सब्जी उत्पादक, टेराकोटा, लघु एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मतस्य पालन, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, शिल्पीयों जैसे प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित विधिय निकाय है जो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है और इससे प्राप्त लाभ को अपने सदस्यों के बीच बांट सकता है।

किसानों को उनके आय में वृद्वि कर सक्षम बनाने के लिये, तकनीकी सहयोग, वित्तिय सहयोग एवं बाजार पहुँच सुनिश्चित करने के उद्वेश्य से केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना किसान उत्पादक संगठन (FPO) प्रारंभ किया गया है। जिसे प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जायेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसान एवं कृषि से जुड़े हुए समुहों को वित्तिय सहयोग प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

हमारे बारे में – सहयोगी मित्र एफ.पी.ओ.

सहयोगी मित्र मंडल एक पंजीकृत एवं पुरस्कृत स्वयंसेवी संस्था है। संस्था सोसायटी अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी अनुदान अधिनियम, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) कंपनी अधिनियम (सेक्शन 8) तथा निती आयोग से पंजीकृत है। अंचल में किसानों के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लंबे समय से कार्यरत है। संस्था कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं नाबार्ड के सहयोग से कृषि क्षेत्र में किसानों की बेहतरी के लिये सतत् प्रयासरत है। इसी तारतम्य में संस्था द्वारा जिला दुर्ग के सभी ग्रामों एवं नगरीय निकाय में किसानों के हित में सहयोगी मित्र आत्मा समूह प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में अंचल के 1000 प्रगतिशील किसान इस संगठन से जुड़े हुए है।

विशेष – रिसोर्स संस्था सहयोगी मित्र मंडल को दिये गये दान आयकर अधिनियम की धारा 80 G(5)(vi) के तहत आयकर मे छुट योग्य है।

एक परिचय

कंपनी का नाम	:	सहयोगी मित्र फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड
कंपनी का कार्यालय	:	मकान नं. 267, आजाद वार्ड क्रं. 37, गंजपारा, दुर्ग
वैधानिक स्वरूप	:	कंपनी अधिनियम 2013(सेक्शन 8) के तहत पंजीकृत
पंजीयन क्र. व दिनांक	:	क्र. 010129, दिनांक 06.06.2020
C.I.N.	:	**U01100CT2020PTC010129**
कमोडिटी क्लस्टर	:	जिला दुर्ग/छ.ग. में कृषि एवं कृषितर गतिविधी
कंपनी में शेयर धारक	:	1000 किसान
प्राधिकृत पूंजी	:	रू. 10 लाख (10रू. मुल्य के कुल 1 लाख शेयर)
कंपनी गठन के लाभ	:	• कृषि उत्पादन लागत में कमी • कृषि उत्पादन के लिये उचित मूल्य एवं आर्थिक लाभ
कंपनी की विशेषता	:	यह पंजीकृत व विधिक निकाय है जिसमें उत्पादक शेयर धारक है। कंपनी में लाभ के एक हिस्से को शेयर धारक / सदस्यों में बॉट दिया जाता है तथा शेष हिस्से से कंपनी के व्यवसाय में विस्तार किया जाता है।
कंपनी के कार्य	:	इनपुट सप्लाई, वित्तिय सहायता, तकनीकि मार्गदर्शन, बीमा, प्राक्यूरमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग तथा उन्नत कृषि उत्पादकता के लिये योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन एवं योजना की मानिटरिंग।
शेयर धारकों को लाभ	:	वार्षिक लाभांष, कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, मौसम, बीज, बाजार, तकनीकी मार्गदर्शन, फसल प्रदर्शन आयोजन, फार्म स्कूल संचालन, कृषक पुरस्कार, उन्नत समूह पुरस्कार, कृषि यंत्रीकरण, सुक्ष्म सिंचाई एवं अधोसंरचना निर्माण।
कंपनी की सदस्यता	:	सदस्यता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आफलाईन / आनलाईन KYC के साथ भरकर ली जा सकती है। Online Form Available: www.sahyogicg.org/smfpcform
सदस्यता शुल्क	:	प्रति शेयर 10 रू. के न्युनतम 100 शेयर खरीदना आवश्यक है व प्रति सदस्य 100 रू. पंजीयन शुल्क देय होगा। शेयर राशि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शेयर सर्टिफिकेट प्रदान किये जायेंगे।